Dr. Vinod Baitha
Marwari College Darbhanga
Deptt of Economics

Economics D.U. Subsidiary Lecture - N. 14

विशेष आर्थिक क्षेत्र Special Economic Zone

भारत की वर्तमान विशेष आर्थिक क्षेत्र Special Economic Zone के नीति अध्ययन रिपोर्ट केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु को सौंपी गयी थी। इस नीति का अध्ययन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। इस समिति को सेज नीति का आकलन करने और इसे विश्व व्यापार संगठन World Trade organisation के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था।

इसके अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र की खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने और अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति में आवश्यक बदलाव सुझाने की जिम्मेदारी भी इस समिति को दी गयी थी। इसके साथ ही तटीय आर्थिक जोन coastal Economic Zone दिल्ली मुम्बई इकोनॉमिक कॉरीडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण जोन और टेक्सटाइल पार्कों जैसी अन्य योजनाओं के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का क्लब करने के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी भी इस समिति को सौंपी गयी थी।

इस रिपोर्ट में कहा गया कि यदि भारत को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था में बदलना हो तो विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमता के साथ-साथ सेवाओं से जुड़े मौजूदा परिवेश में भी कुशलता सुनिश्चित करने होंगे। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं और इससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में मिली कामयाबी के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, कानूनी मसम्मत और डिजाईन सेवाओं जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों सेक्टरों में भी सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए मौजूदा नीतिगत रूप रेखाओं का आकलन करने की जरूरत है इसके साथ ही संबंधित नीति को WTO के प्रासंगिक नियम कायदों के अनुरूप बनाने की भी जरूरत है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा Special Economic Zone SEZ विशेष रूप से परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से व्यापार आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रख कर व्यवसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित

Scanned by CamScanner

करने के लिए विकसित किये जाते हैं। भारत उन शीर्ष देशों में से एक है। जहाँ उद्योग तथा व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ऐसी भौगोलिक इकाईयों को स्थापित किया गया है। भारत पहला एशियाई देश है जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए 1965 में कांडला में एक निर्यात क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे भी स्वतंत्रता प्रोसेसिंग जोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित व्यवसायों को विशेष अधिकार होते हैं। विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के पीछे मूल विचार यह है कि व्यवसाय के लिए संरचना और परिवेश का निर्माण करना रातों रात संभव नहीं होता अतः इसके लिए ऐसे विशेष क्षेत्र बनाएँ जाए जो कम अवधि में तैयार हो सके और जहाँ व्यापार और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं के हल अधिक कुशलता से किया जा सके।

विशेष आर्थिक जोन में दी जाने वाली सुविधाएं जिससे विशेष आर्थिक जोन को बढ़ावा मिल सके। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित कीए जाने वाले आर्थिक जोन क्षेत्र को Special Economic Zone कहा जाता है भारत सरकार द्वारा Special Economic Zone की शुरुआत 2005 में की। SEZ से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आय कर, मिनिमम अलटरनेट टैक्स डिविडेंड - डिस्ट्रीब्युशन टैक्स जैसे भी नहीं लगाया है।

* उन वस्तुओं को देश और विदेश से मंगवाने में ड्यूटी नहीं लगती जो जो सेज SEZ की इकाईयों के विकास, संचालन, और संधारण के लिए आवश्यक है।
* - SEZ की इकाईयों को पहले पाँच वर्षों तक निर्यात से होने वाली आय पर आय कर नहीं देना पड़ता है। और फिर पाँच वर्षों तक इसके लिए 50% आय कर देना होता है।
* न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट का प्रावधान किया गया है।
* केन्द्र और राज्य के स्तर पर होने वाले अनुमोदन एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्र की कमियों, कठिनाईयों को उसको दूर करने का प्रयास सरकार के स्तर से होना चाहिए। सरकार के प्रयास से विशेष आर्थिक जोन को और सफलता मिल सकती है और भारत विश्व के अन्य देशों के मुकाबले और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत का सकता है।

P.T.O

Scanned by CamScanner

इसके कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं।

* दूसरे देशों की तुलना में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र उतने सफल नहीं रहे। जितना सफलता दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और सिंगापुर आदि देशों में देखने को मिलती है उपरोक्त देश इस क्षेत्र के अधिक उन्नति कीए हैं।

* केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गयी कर संबंधी राहतों से आकर्षित हो कर कई प्रतिष्ठानों ने अपनी इकाईयाँ लगा दी, परन्तु प्रतिष्ठान निर्यात पर ध्यान न देकर कर बचाने पर ध्यान देते हैं जिससे संलग्न प्रतिष्ठानों की जितनी प्रगति होनी चाहिए। वह नहीं हो सकी।

* देश की अर्थव्यवस्था उपयुक्त सम्पर्क के अभाव में विशेष आर्थिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है।

* तटीय स्थानों में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र का जुड़ाव उनके हिन्टर लैण्ड से कमजोर रहा है जिसके कारण उनकी क्षमताओं का पूर्णउपयोग नहीं हो पाया।

* केन्द्र के विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के अनुरूप राज्य स्तर पर कानून नहीं बनने के कारण एक ही स्थान पर सरकारी अनुमतियों को प्रदान करने की प्रणाली कारगर सिद्ध नहीं हो पायी।

* विशेष आर्थिक क्षेत्र के द्वारा देश के औद्योगिकरण के प्रयास को उत्तम नीति, कारगर कार्यान्वयन और कुशल अनुभव के कारण बहुत बड़ा धक्का लगा है विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों को जितना प्रगति उन्नति करना चाहिए वह नहीं हो पाया।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा निर्यात किये जाने के उद्देश्य से स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र की शुरुआत 2005 में की गयी थी। जिसमें निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आय कर, मिनिमम आलटर नेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीबुशन कुछ भी नहीं लगता है फिर भी भारत में आईथी एस ई जेड काफी सफल साबित हुए हैं। वर्ष 2006 में एकल खिड़की निपटान जैसे प्रावधानों को जोड़कर सरकार ने इस क्षेत्र के लिए नियमों को काफी सरल बना दिया है, इसके बावजूद भी विशेष आर्थिक क्षेत्र की अन्य देशों के मुकाबले प्रगति कम है।

Scanned by CamScanner

इस तरह विशेष आर्थिक क्षेत्र की सफलता के लिए अन्य देशों के साथ आगे बढ़ने हेतु आवश्यक सुझाव इस प्रकार है।

* विशेष आर्थिक क्षेत्र जो भी प्रस्ताव स्वीकार किये जाय उनकी क्रियान्वयन प्रक्रिया स्वस्थ एवं पारदर्शी हो। अतः सम्बन्धित नियमों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
* औद्योगिक और गैर औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट मानदंड तैयार किये जाएं और इनका सम्पूर्णता से क्रियान्वयन हो।
* खाद्यान्न पदार्थों तथा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात से घरेलू बाजार में इनकी कमी न हो या कीमतें न बढ़ें। अतः इसपर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है
* विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से विस्थापित लोगों के पुनर्वास, रोजगार की समुचित व्यवस्था के सरकारी प्रावधानों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाय
* विशेष आर्थिक क्षेत्र को राजनीति का अखाड़ा न बनने दिया जाय।
* विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए ऐसी नीति बने जिससे कृषि के साथ उद्योग धन्धों का विकास साथ-साथ हो।

इस प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्र पूँजी निवेश, रोजगार, संवर्धन एवं निर्यात वृद्धि का महत्वपूर्ण संसाधन है निश्चित रूप से देश की आर्थिक उन्नति में इनकी भूमिका अहम होगी, बशर्ते इनका विकास एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो। इस बात का ध्यान रखा जाय कि विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं बाहरी क्षेत्रों के बीच असंतुलन न होने पाए, और विशेष आर्थिक क्षेत्र का लाभ इस व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को यथासंभव दीर्घकाल तक मिलता रहे। भारत में भी चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्र के सफलता की कहानी दुहरायी जा सकती है बशर्ते पूरी तन्मयता एवं इमानदारी इनके विशेष आर्थिक में कार्य किया जाय।

Scanned by CamScanner